



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 08]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2013-फाल्गुन 3, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 4/2013

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 28/2012 के साथ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

श्री पद्मावती इरीगेशन्स प्रायवेट लिमिटेड के साथ सनरेज् इन्टरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड की

समामेलन योजना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 391-394 के मामले में

एवं

के मामले में:

सनरेज् इन्टरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं

जिसका पंजीकृत कार्यालय 405, एन आर के विला,

मनोरमागंज, इन्दौर-452 001 (मध्यप्रदेश).

याचिकाकर्ता क्र. 1/अंतरक

श्री पद्मावती इरीगेशन्स प्रायवेट लिमिटेड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं

जिसका पंजीकृत कार्यालय एम-8, कॉर्पोरेट हाउस,

आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर-452 001 (मध्यप्रदेश).

याचिकाकर्ता क्र. 2/अंतरिती

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-391-394 के अन्तर्गत दिनांक 30 जनवरी, 2013 को, श्री पद्मावती इरीगेशन्स प्रायवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ सनरेज् इन्टरनेशनल प्रायवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) की समामेलन योजना की

मंजूरी प्राप्त करने के लिये एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 20 मार्च, 2013 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है।

दिनांक 11 फरवरी, 2013.

यतीश लाड़,

अभिभाषक,

तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनीयां

304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स, 2/13 रेस कोर्स रोड,

इन्दौर-450 001 (म. प्र.)

(312-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तनुष्का पाराशर पत्नी श्री प्रदीप पाराशर, उम्र 33 वर्ष, व्यवसाय नौकरी, निवासी 68, बलवंत नगर, गांधी रोड, ग्वालियर यह कि पूर्व में मेरा नाम, शैक्षणिक तथा अन्य सभी दस्तावेजों में तमन्ना शर्मा अंकित है. अब मेरा नाम परिवर्तित होकर तनुष्का पाराशर पत्नी श्री प्रदीप पाराशर हो गया है. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में तनुष्का पाराशर पढ़ा जाये एवं इसी नाम से मुझे जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(तमन्ना शर्मा)

(313-बी.)

नया नाम :

(तनुष्का पाराशर)

पत्नी श्री प्रदीप पाराशर,

68, बलवंत नगर, गांधी रोड, ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar Singh hereby declare change in name of my son from Sulakshya Singh to Vanshaj Singh studying in St. Paul Higher Secondary School Indore IXth Standard Now onward he shall be called Vanshaj Singh.

(Rakesh Kumar Singh)

D-3, Akashwani Vihar,

Residency, Indore. (M. P.).

(314-बी.)

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शुगन डेवलपर्स, पता 161/42, पीपल्या राऊ, ए बी रोड, इंदौर (मध्यप्रदेश) भागीदारी फर्म से श्री संजय कुमार बोकाड़िया, श्रीमती विजया बोकाड़िया, पता—55, जानकी नगर एनेक्स, इंदौर, ओमप्रकाश मेहता 34, वीरापन स्ट्रीट, सोकारपेट चेन्नई, श्रीमती कंचन देवी, 34, वीरापन स्ट्रीट, सोकारपेट चेन्नई ने दिनांक 8 सितम्बर, 2012 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है एवं रमेशचन्द्र पुरोहित 161/42, पीपल्यागांव, ए बी रोड, इंदौर ने फर्म में दिनांक 8 सितम्बर, 2012 को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं।

एतदनुसार सूचित होंगे.

For Sugan Developers

(सुभाष पारीख)

Attorney/Partner

(315-बी.)

For Sugan Developers

(प्रफुल्लता पुरोहित)

Attorney/Partner

For Sugan Developers

(रमेशचन्द्र पुरोहित)

Attorney/Partner

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम दीपक वाधवानी था, जिसे मैंने बदलकर रवि वाधवानी कर लिया है. अब मुझे सभी जगह मेरे नये नाम रवि वाधवानी से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(दीपक वाधवानी)

(रवि वाधवानी)

(316-बी.)

म. न. 21, रिज रोड, ईदगाह हिल्स,
भोपाल (म. प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, फजल अमदानी ने अपना नाम परिवर्तन कर मो. फुजेल अमदानी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(फजल अमदानी)

(मो. फुजेल अमदानी)

(319-बी.)

R/o B. No. 200-E D. SCH No. 94,
सेक्टर-D, रिंग रोड, इन्दौर (म. प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, हितेष ने अपना नाम परिवर्तन कर मिथिलेष मालवीय कर लिया है. अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(हितेष)

(मिथिलेष मालवीय)

(320-बी.)

A/L 323, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
पीथमपुर (धार).**नाम परिवर्तन**

मोहनलाल तिवारी पिता स्व. श्री सुन्दरलाल तिवारी, ग्राम लहर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश जो वर्तमान में परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं तथा वर्तमान में सुन्दरम बंगला, 50, महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल में निवासरत हैं, ने शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम परिवर्तित कर मोहनलाल तिवारी के स्थान पर मोहन तिवारी पिता स्व. सुन्दरलाल तिवारी कर लिया है. अतः सभी को सूचित किया जाता है कि अब मोहनलाल तिवारी की जगह मोहन तिवारी कहा एवं पढ़ा जाय.

पुराना नाम :

नया नाम :

(मोहनलाल तिवारी)

(मोहन तिवारी)

(318-बी.)

सहायक संचालक, उद्योग,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल (म. प्र.).**आम सूचना**

मे. अनिल सिंह कान्ट्रेक्शन कंपनी में पहले तीन भागीदार अनिल सिंह परिहार, मनोज शर्मा एवं बी. के. त्रिपाठी दिनांक 1 जनवरी, 2013 से बी. के. त्रिपाठी रिटायर हो गये हैं एवं वर्तमान में अनिल सिंह परिहार एवं मनोज शर्मा भागीदार हैं.

अनिल सिंह परिहार,

भागीदार,

मे. अनिल सिंह कान्ट्रेक्शन कं.,

विराट नगर, सतना (म. प्र.).

(317-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरा नाम भगवानदास वासवानी पुत्र स्व. श्री हरूमल वासवानी, निवासी न्यू बी-52/532 है और मेरा शैक्षणिक संस्थाओं के अभिलेख में, निर्वाचन कार्यालय में, आयकर विभाग में इसी नाम से अभिलेख है और पहचान-पत्र जारी है जबकि मुझे परिवारजन प्यार से धीरज कुमार वासवानी के नाम से पुकारते थे इस कारण मैं, समस्त को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं, भगवानदास वासवानी के नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(धीरज कुमार वासवानी)

नया नाम :

(भगवानदास वासवानी)
पुत्र स्व. श्री हरूमल वासवानी,
निवासी न्यू बी-52/532, बैरागढ़, भोपाल.

(321-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी, 2013

क्र. क्यू/2-ख/स्था/6-17/2/2010.—मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 24-01/2012/32-1, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के प्रकाश में निम्नानुसार कॉलम नम्बर-2 में दर्शित अनुविभागीय अधिकारियों (पदेन) (सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर) को मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा-20 के अन्तर्गत कॉलम नम्बर-3 में अंकित कार्यक्षेत्र के लिये भाड़ा नियंत्रण अधिकारी एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	अनुविभागीय अधिकारी	कार्य क्षेत्र
1	2	3
1.	अनुविभागीय अधिकारी, डबरा	अनुविभाग डबरा
2.	अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर (शहरी)	शहरी वृत्त कुलैथ, पुरानी छावनी, बहोड़ापुर
3.	अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर (ग्रामीण)	वृत्त—सिरसौद, सुपावली, उटीला, बेहट, हस्तिनापुर
4.	अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड	वृत्त—महलगांव, मेहरा
5.	अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर	वृत्त—लश्कर, गिरवाई
6.	अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव	वृत्त—घाटीगांव, रेंहट, मोहना, बरई
7.	अनुविभागीय अधिकारी, मुरार	वृत्त—मुरार एवं बड़गांव
8.	अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार	अनुविभाग, भितरवार

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(92)

पी. नरहरि,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना

सतना, दिनांक 03 जनवरी, 2013

क्र. / 5अ/एससी.-2/13.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 3 के अनुक्रम 4 के नियम 8 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 5-3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. खरे, कलेक्टर सतना, जिला सतना वर्ष 2013 के लिये 03 स्थानीय अवकाश पूरे दिवस का निम्नानुसार घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार
1.	14 जनवरी, 2013	सोमवार	मकर संक्रान्ति
2.	15 फरवरी, 2013	शुक्रवार	बसंत पंचमी
3.	18 अप्रैल, 2013	गुरुवार	महा अष्टमी

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

(75)

के. के. खरे,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 15 जनवरी, 2013

संशोधित आदेश

क्र./29/व.लि./13.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1/व.लि./12, दिनांक 1 जनवरी, 2013 द्वारा स्थानीय अवकाशों की घोषणा की गई है, उक्त आदेश में अहिल्योत्सव दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को कार्यालय समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक उल्लेखित किया गया है.

आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त दिनांक 04 सितम्बर, 2013 (बुधवार) को कार्यालयीन समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे के स्थान पर प्रातः 10.30 बजे से 01.30 तक निर्धारित किया जाता है. शेष आदेश यथावत् रहेगा.

(76)

आकाश त्रिपाठी,
कलेक्टर.

न्यायालयों की सूचनाएं**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर**

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“समीर चिटनीस स्मृति न्यास” कार्यालय 165, साकेत नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री वर्धन चिटनीस पिता स्व. श्री समीर चिटनीस, निवासी—165, साकेत नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “समीर चिटनीस स्मृति न्यास”.
पता : 165, साकेत नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति : निरंक है.
चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(77)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“स्वातंत्र्यवीर राव तुलाराम स्मारक यादव शैक्षणिक सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय 6, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री हुकम सिंह यादव पिता स्व. डी. एस. यादव, निवासी—6, विष्णुपुरी एन. एक्स., इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“स्वातंत्र्यवीर राव तुलाराम स्मारक यादव शैक्षणिक सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट”
पता :	6, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र)

आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(77-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“मित्तल फाउण्डेशन ट्रस्ट” कार्यालय 303, अपोलो ट्रेड सेन्टर, गीता भवन चौराहा, ए. बी. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री दिनेशचन्द्र मित्तल पिता स्व. श्री बाबूलाल मित्तल, पता—15ए/22, वाय. एन. रोड इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता :	“मित्तल फाउण्डेशन ट्रस्ट” 303, अपोलो ट्रेड सेन्टर, गीता भवन चौराहा, ए. बी. रोड इन्दौर (मध्यप्रदेश)
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(77-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“इन्द्रा नवल चेरीटेबल ट्रस्ट” कार्यालय 104, आनंद टॉवर, 28/2 ओल्ड पलासिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री हितेन्द्र मेहता निवासी 28, गुलमोहर कॉलोनी इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“इन्द्रा नवल चेरीटेबल ट्रस्ट”
पता :	104, आनंद टॉवर, 28/2 ओल्ड पलासिया इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)
आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.	

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(77-C)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

रा.प्र.क्र. 3/बी-113/1/2011-12.

जारी, दिनांक 15 जनवरी, 2013

(प्रारूप-4)

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि श्री लक्ष्मण प्रसाद उरमलिया, द्वारा “सार्व भौम ब्राम्हण सेवाश्रम न्यास” 2215, चंद्रशेखर वार्ड नरसिंहनगर रांझी, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 फरवरी, 2013 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो ओर उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम :	“सार्व भौम ब्राम्हण सेवाश्रम न्यास”
पता :	2215, चंद्रशेखर वार्ड नरसिंहनगर रांझी, जबलपुर
चल सम्पत्ति :	6,722.00 नगद (अंकन छै हजार सात सौ बाईस रुपये मात्र)
अचल सम्पत्ति :	प्लॉट खसरा नं. 159/4/3 रकवा 40×43 चंद्रशेखर आजाद वार्ड रांझी, दो दरी, एक स्टील अलमारी, पाँच राम चरितमानस रहित सहित, एक हारमोनियम, एक ढोलक, एक टेबिल, दो कुर्सी.

संजय जैन,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(93)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट वृत्त, गोविन्दपुरा, भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

क्र. /अ.वि.अ./वृत्त गो./13.— जैसा कि आवेदक संस्था माँ कालिका देवी मन्दिर सेवा न्यास, प्लॉट क्रमांक 1221 एवं 1222 शिव नगर फेस-3, ग्राम भानपुर भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के मध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता :	“माँ कालिका देवी मन्दिर सेवा न्यास”
न्यास कार्यालय का पता :	प्लॉट क्र. 1221 एवं 1222, शिवनगर फेस-3, ग्राम भानपुर तहसील हुजूर, भोपाल.
अचल सम्पत्ति :	प्लॉट क्र. 1221 एवं 1222, कुल साईज 2000 वर्गफिट स्थित शिवनगर फेस-3, ग्राम भानपुर, भोपाल.
चल सम्पत्ति :	निरंक.

(78)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

क्र. /अ.वि.अ./वृत्त गो./13.— जैसा कि आवेदक संस्था नव ज्योति सेवा न्यास, 722 ए. न्यू. अशोका गार्डन, तहसील हुजूर, भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2013 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के मध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता :	“नव ज्योति सेवा न्यास”
न्यास कार्यालय का पता :	722-ए, न्यू अशोका गार्डन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	निरंक.

(78-A)

ए. एस. पंवार,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजुल, एम. पी. नगर वृत्त, भोपाल

प्र. क्र. 06 /बी-113/2012-13

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "देवदृष्टि सोशल फाऊंडेशन" ए-116, इमरॉल्ड पार्क सिटी, एम्स के पास, भोपाल की ओर से मुख्य ट्रस्टी श्री गौरव शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2013 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता | : | "देवदृष्टि सोशल फाऊंडेशन"
ए-116, इमरॉल्ड पार्क सिटी एम्स के पास, भोपाल. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | 5,100/- (पांच हजार एक सौ रुपये). |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | कुछ नहीं. |

आज दिनांक 4 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

रितु चोहान,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(79)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (30, सन् 1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 के अन्तर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दी गई जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा उपधारा (4) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट है।

अतएव मैं, आर. एस. गोहल, पंजीयक, ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उप-धारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी, 2013 को इस मामले की जांच करना चाहता हूँ।

अतः यह सूचना दी जाती है कि उक्त ट्रस्ट का कोई व्यक्ति, ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला विरोध या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हों। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता और चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता:—श्री शिव पार्वती मंदिर, सुरेला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन की चल सम्पत्ति का विवरण:—

1. शिव परिवार 05 मूर्ति एक पीतल का कलश.

अचल सम्पत्ति का विवरण:—

1. श्री नर्मदेश्वर मंदिर स्थित ग्राम सुरेला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, रकबा आधा एकड़.

2. कृषि भूमि स्थित ग्राम सुरेला प. ह. नं. 06, ग्राम सुरेला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन मध्यप्रदेश खसरा क्र. 139, रकबा 0.17, लगान 0.74 कव 1/2 भाग मंदिर हेतु दान दिया गया.

3. खसरा क्र. 221, रकबा 1.52, लगान 2.19 मंदिर में पुराजी की व्यवस्था हेतु दान पत्र के रूप में जिसका कि राजस्व अभिलेखा में दर्ज होना अनुमानित मूल्य 4,00,000 रुपये.

न्यास की आमदनी के स्रोत—

न्यास की प्रमुख आमदनी का स्रोत कृषि आय एवं न्यासी सदस्यों एवं दानदाताओं द्वारा दान की गई धनराशि है. इसके अतिरिक्त न्यास शासन प्रदेश केन्द्र नियमित निकाय एवं अन्य किसी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करेगा.

वार्षिक औसत आय—

अ- 40,000 रुपये (चालीस हजार रुपये मात्र).

वार्षिक औसत व्यय—

न्यासी एवं प्रबंधक अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे किन्तु न्यास के सदस्यों को कार्य यात्रा भत्ता न्यास के खाते से भुगतान किया जावेगा.

1. स्थापना एवं कर्मचारियों पर व्यय
2. सहायतार्थ व्यय : वर्तमान में लागू नहीं.
3. अन्य मदों पर व्यय : वर्तमान में लागू नहीं.
4. अन्य विवरण :—

न्यास की सदस्यता प्रबंध कारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख, वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

न्यास से संबंधित बिलेख प्रपत्र का विवरण और उस पर कब्जा रखने वाले न्यासधारियों का नाम व पता.

न्यास में उपरोक्त वर्णित भूमि कुल रकबा 1.69 एकड़ ग्राम सुरेला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन जिनकी 5 साला खसरा, किस्तबंदी खतोनी व नक्शा की पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है.

उक्त मंदिर तथा उसकी सम्पादित को ट्रस्ट के लिए आवेदक देवेन्द्र धाकड प्रमुख न्यासी एवं अध्यक्ष, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 2. गोविंद प्रसाद दुर्वे | उपाध्यक्ष |
| 3. तुलसीराम धाकड | कोषाध्यक्ष |
| 4. गंगाराम धाकड | सचिव/मंत्री |
| 5. कोमलसिंह | सदस्य |
| 6. चैनसिंह पटेल | सदस्य |
| 7. चैनसिंह धाकड | सदस्य |
| 8. बृजेश चौधरी | सदस्य |
| 9. पप्पू धाकड | सदस्य |
| 10. राजू कुशवाह | सदस्य |
| 11. खेमराज | सदस्य |
| 12. गेंदालाल | सदस्य |
| 13. नारायण सिंह मेहरा | सदस्य |
| 14. महेन्द्र सिंह | सदस्य |
| 15. संजीव उर्फ संजू | सदस्य |

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों / प्रबंधकों के सम्बन्ध में भी यदि किसी को कोई आपत्ति हो वह दिनांक 15 फरवरी, 2013 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

(80)

आर. एस. गोहल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

जारी, दिनांक 16 जनवरी, 2013

प्र. क्र. 04/बी-113 (1)/2012-13.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक

न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि राधेश्याम चौधरी निवासी ग्राम सनवदिया, तहसील व जिला इन्दौर ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 20 फरवरी, 2013 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	अखिल भारतीय श्री चन्द्रवंशीय निखर पूर्विया गारी (चौधरी) समाज लोक न्यास, ओंकारेश्वर, जिला पूर्व निमाड़.
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,61,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.

(81)

हरिसिंह चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

फॉर्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक श्री हाजी इनायतुल्लाह पिता हाजी सुल्तान जी मुसलमान, निवासी अंजड, तहसील अंजड द्वारा ग्राम अंजड में म. मदरसा-ए-मदीना ट्रस्ट खोलने के लिए ट्रस्ट पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जर्जे अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(82)

पी. एस. चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, नयनतारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

दिनांक 09 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/4.—नयनतारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी. आर. बी. 749, दिनांक 09 जुलाई, 1997 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/परि./2510, दिनांक 17 जुलाई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. के. मेड़तवाल,

(83)

उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल जिसका पंजीयन क्र./डी.आर.बी. 373, दिनांक 5 सितम्बर, 1983 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 3200, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया संस्था जो जवाब दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए गोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल अग्रवाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अनिल अग्रवाल परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतः प्रस्तुत करें।

आर. एस. विश्वकर्मा,

(84)

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1107, दिनांक 22 जुलाई, 2009 द्वारा श्री यादे साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 380, दिनांक 08 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(85)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 आदेश क्रमांक 435, दिनांक 27 फरवरी, 2012 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. राय, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धान्तों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 435, दिनांक 27 फरवरी, 2012 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक श्री एन. के. राय, व. स. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(85-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 786, दिनांक 24 मार्च, 1988, आदेश क्रमांक 263, दिनांक 06 फरवरी, 2008 से परिसमापन में लाया जाकर श्री अभय निगम, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धान्तों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 263, दिनांक 06 फरवरी, 2008 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बंजारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 786, दिनांक 24 मार्च, 1988 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक सहकारिता विस्तार अधिकारी, महिदपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(85-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 22 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881/विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./373, दिनांक 29 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./373, दिनांक 29 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(86)

विदिशा, दिनांक 23 जनवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1882/विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जैतपुरा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./427, दिनांक 31 मार्च, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जैतपुरा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जैतपुरा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./427, दिनांक 31 मार्च, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक.

(86-A)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, शिवपुरी

दिनांक 02 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक निम्नानुसार है, को उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं शिवपुरी द्वारा पूर्व आदेशों के तहत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत विभागीय अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया, इसी क्रम में कार्यालयीन आदर्शों दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अखाद्य तेल उत्पादक एवं साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर	122/05-01-1963	2431/11-12-2012
2.	चर्मशोधन एवं चर्मकर्म सहकारी संस्था मर्या., पोहरी	127/13-11-1962	2430/11-12-2012
3.	वस्त्र श्रवण कला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर	270/7-1-1956	2429/11-12-2012
4.	माधव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., ककरौआ	472/27-12-2012	2426/11-12-2012
5.	प्राथ. कृषि सहकारी संस्था मर्या., झिरी नं. 1	1806/22-7-2021	2425/11-12-2012
6.	प्राथ. कृषि सहकारी संस्था मर्या., अतवई नं. 1	1796/26-2-2021	2424/11-12-2012
7.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., अनभौरा	408/1-3-1968	2421/11-12-2012
8.	आदर्श गुड़ खांडसारी सहकारी संस्था मर्या., ककरौआ	122/8-8-1962	2407/11-12-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था/संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि एक माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा साथ ही संस्था के पूर्व कर्मचारी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड नगदी या अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही भी की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 2 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. पाराशर,

(87) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2317, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 26 जुलाई, 2005 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती विनीता सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2318, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 शिवपुरी साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत शिवपुरी साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 495, दिनांक 20 जुलाई, 2004 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2320, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 अ. जा. श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., भौंती को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अ. जा. श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., भौंती जिसका पंजीयन क्रमांक 316, दिनांक 22 अप्रैल, 1995 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश चंद्र जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2321, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत फल एवं साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 09 जुलाई, 1996 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री उमेश चंद पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2332, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 आर्दश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आर्दश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 09 फरवरी, 2003 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2336, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 द्वारा राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 07 जुलाई, 1983 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. आर. डण्डैतिया, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87-S)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2315, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 शवरी महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत शवरी महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. के. मड़ौइया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(87-T)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2396.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./575, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा मंडल शास. कर्म. उप-भण्डार, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. ए. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त

श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सह. विस्तार अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-E)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2402.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./575, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा पुलिस विभाग वेतनभोगी सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. ए. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सह. विस्तार अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-F)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2403.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./575, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा मुद्रण प्रकाशन सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. ए. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. आर. दण्डौतिया, S. C. I., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-G)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2404.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./575, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा हरिजन सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. ए. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री व्ही. आर. दण्डौतिया, S. C. I., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-H)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2405.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./575, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदर्श खाद बीज भण्डार, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. ए. शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर

श्री व्ही. आर. दण्डौतिया, S. C. I., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-I)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2406.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./573, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा रंगाई छपाई सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ओ. एन. शर्मा, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. वी. मुचरीकर, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-J)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2407.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./573, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदर्श गुड़ खांडसारी सहकारी संस्था, ककरौआ, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ओ. एन. शर्मा, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-K)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2408.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1374, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. वी. मुचरीकर, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-L)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2409.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./586, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा अनु. जाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, माधौनगर, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर

श्री उमेश पाठक, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-M)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2410.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1374, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा अ. ज. जा. पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था, बम्हारी, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-N)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2411.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./586, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा राठौर तेल उत्पादक सहकारी संस्था नरवर, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-O)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2412.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, डोंगर सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-P)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा सामूहिक कृषि संस्था, करमई, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-Q)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2421.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, उमनभौरा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-R)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2422.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा जनता ओपन पानशक्कर कारखाना, करही, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री रमेश चंद जैन, सह. वि. अधि. शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-S)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2423.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./576, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा बुनकर सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. वी. मुचरीकर, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-T)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2424.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, अतवई नं. 1, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-U)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2425.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, झिरी नं. 1, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को

नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-V)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2426.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा माधव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, ककरौआ, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-W)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2427.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेहरा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-X)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2428.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मझेरा सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. वी. मुचरीकर, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-Y)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2429.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा वस्त्र श्रवण कला उद्योग सहकारी संस्था, भटनावर, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को

नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(88-Z)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2430.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा चर्मशोधन एवं चर्मकर्मी सहकारी संस्था, पोहरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2431.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा अखाद्य तेल उत्पादक एवं साबुन उद्योग सहकारी संस्था, भटनावर, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री आनंद पाराशर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-A)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2432.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा भारत महिला साख सह. सं., शिवपुरी, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. वी. मुचरीकर, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-B)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2433.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा श्रमिक बांस उद्योग सहकारी संस्था, भटनावर, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर

श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-C)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2434.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा महात्मा फुले प्राथ. ईंधन सहकारी संस्था, बैराड़, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-D)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2434.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदर्श खाद बीज भण्डार सहकारी संस्था, पोहरी, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-E)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2436.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-F)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2437.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., मुड़खेड़ा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. वी. मुचरीकर, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-G)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2438.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., गुरिच्छा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-H)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2439.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., भडेरा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री रमेश चंद जैन, सह. वि. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-I)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2440.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा पि. वर्ग महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ऊमरी भिलौड़ी, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री रमेश चंद जैन, सह. वि. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-J)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2441.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बीलवरा माता, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री रमेश चंद जैन, सह. वि. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-K)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2442.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./1372, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा महिला बहु. सहकारी संस्था, ककरई, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त

किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री रमेश चंद जैन, सह. वि. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-L)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2443.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा ऊन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भदनावर, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-M)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2444.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./572, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा इन्द्रा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी संस्था, बीलवरा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंके. अधि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-N)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2445.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./319, दिनांक 9 अप्रैल, 2008 द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी संस्था, पिपरा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-O)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2446.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./319, दिनांक 9 अप्रैल, 2008 द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, चौका, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-P)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2447.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा सर्वो. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार, खनियाधाना सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-Q)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2448.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा चैतन्य नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, खनियाधाना सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-R)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2449.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा गणेश मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, लोटन सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री जे. एस. राजे, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-S)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2450.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दीगौध, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, अंकेक्षण अधिकारी, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-T)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2451.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बामौरकलां, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर

श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-U)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2453.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कोलारस, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री विजय जैन, ए. ओ., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-V)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2454.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./577, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कोली मोहल्ला, कोलारस, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री ए. के. जैन, व. स. नि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-W)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2455.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./704, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी संस्था सेवड़ा, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री मनमोहन शर्मा, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. के. मड़ोइया, अंकेक्षण अधिकारी, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-X)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2456.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./704, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा विद्युत मण्डल कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री मनमोहन शर्मा, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सुनील निम्बालकर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-Y)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2457.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./704, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा भा. वि. सी. पु. कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था, शिवपुरी सहकारी संस्था का परिसमापक श्री मनमोहन शर्मा, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सुनील निम्बालकर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(89-Z)

शिवपुरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

संशोधित आदेश

क्र./परि./2012/2458.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./704, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा सुगम साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, सहकारी संस्था का परिसमापक श्री मनमोहन शर्मा, सह. वि. अधि., सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण शिवपुरी से अन्यत्र हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री सुनील निम्बालकर, व. स. नि., शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(90)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छपारा, जिला सिवनी

छपारा, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी के द्वारा तालिका में वर्णित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रगतिशील यातायात सहकारी समिति मर्या., देवतामऊ	847	1171/28-08-2012
2.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., सादकसिवनी	717	1017/25-07-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मय साक्ष्य के यदि हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार देय कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्राप्त हो जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(71-A)

एन. डी. कटरे,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 08]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2013-फाल्गुन 3, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के शहडोल, उमरिया, जबलपुर, डिण्डोरी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जैतपुर, बुढार (शहडोल), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), जबलपुर (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जैतपुर (शहडोल), भानपुरा (उमरिया), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व कटनी में रबी की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला कटनी में फसल चना, मसूर, अलसी व टीकमगढ़ में राई-सरसों, जौ, चना व ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, मंदसौर, देवास, रायसेन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर तथा सीधी, इन्दौर, राजगढ़, डिण्डोरी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

..

5. **कटाई.**—जिला टीकमगढ़, कटनी, बालाघाट में फसल धान व भोपाल, होशंगाबाद में फसल मक्का, सोयाबीन, धान, उड़द की कटाई तथा मूंगफली की खुदाई का एवं दमोह में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, तिल, मूँगफली, ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) उड़द, गन्ना अधिक. मक्का, कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई एवं राई-सरसों, जौ, चना की बोनी व खरीफ फसल धान की कटाई चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मूँग, उड़द, तिल, मूँगफली, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, चना, जौ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिबड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा				
2. बटियागढ़				
3. दमोह				
4. पथरिया				
5. जवेरा				
6. तेन्दूखेड़ा				
7. पटेरा				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना कम. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर				
2. मझगवां				
3. रामपुर-बघेलान				
4. नागौद				
5. उचेहरा				
6. अमरपाटन				
7. रामनगर				
8. मैहर				
9. बिरसिंहपुर				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर				
2. सिरमौर				
3. मऊगंज				
4. हनुमना				
5. हजूर				
6. गुढ़				
7. रथपुरकर्चुलियान				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, उड़द, तिल कम. मक्का, अरहर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर				
2. ब्यौहारी				
3. जैसिंहनगर				
4. जैतपुर 18.0	18.0				
5. बुढार 14.0	14.0				
6. गोहपारू				
*जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जैतहरी				
2. अनूपपुर				
3. कोतमा				
4. पुष्पराजगढ़				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर, उड़द अधिक. चना, राई-सरसों कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 12.5	12.5				
2. पाली 6.0	6.0				
3. मानपुर 18.0	18.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिहावल	..				
3. मझोली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार कम. धान, मक्का, सांवा, अरहर, तिल, उड़द, मूँग, कोदों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं खरीफ बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्डका	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर अधिक. उड़द कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, कपास. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, मसूर, मूँगफली, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकरखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, धान, उड़द की कटाई एवं मूँगफली की खुदाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली, उड़द, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कपास, तुअर, चना, गेहूँ अधिक. ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. आजादनगर 4. सोण्डवा 5. उदयगढ़ 6. कट्टीवाडा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, कपास, ज्वार, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
7. वरला	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
*जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खकनार	..		(2) ..		
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) मक्का, तुअर, गन्ना, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
*जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, गन्ना अधिक. मसूर, तिवड़ा कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गौरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. वाडी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई व जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. गन्ना, मूँगमोठ, उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान कम. (2) उपरोक्त फसल सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	1.2				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं चना, मसूर, अलसी की बोनी व धान एवं खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, अलसी, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उड़द, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
*जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	26.0				
2. शाहपुरा	23.2				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
*जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अनूपपुर, पूर्व-निमाड़, बुरहानपुर, सीहोर, मण्डला, सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(74)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.